राजस्व अपील संख्या 84/2022

अनवान

सहीराम व अन्य बनाम मोहनराम व अन्य

दिनांक 2–3–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट ग्राम नेडानगर पटवार हल्का लोहावट बी.बी. नामांतरकरण संख्या 133 पर पारित आदेश दिन 14–1–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नो ने उपस्थिति पत्र प्रस्तुत किया। वकील पक्षकारान उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने उक्त अपील की ग्राह्यता के संबंध मे आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 133 पर स्वीकृति आदेश तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित किया है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर का है इसलिए उक्त अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही होने से खारीज करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि यदि वर्तमान अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है तो प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने का निवेदन किया ।

पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । चूँकि उक्त अपील नामांतरकरण संख्या 133 ग्राम नेडानगर पटवार हल्का लोहावट बी.बी. पर तहसीलदार लोहावट द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर को है, न कि इस न्यायालय को । ऐसे मे प्रस्तुत अपील सुनवाई के क्षेत्राधिकार बिन्दु पर खारीज की जाती है । वकील अपीलांट कों निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करें तथा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने एवं लोटाये जाने के आदेश के बीच के समय को अंदर मयाद सुमार किया जाता है । उक्त अपील इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वकील अपीलांट को लौटाई जाने के आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है । दायरा रजिस्टर के नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

मूल पत्रावली प्राप्त की
10/3/2022

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर